Swargiya Chandra Singh Shahi Government Post Graduate College Kapkote (Bageshwar)

Reservation Policies as per the Government of Uttarakhand:

- This document is as per just after the establishment of the state Uttarakhand

Letter No. 1144/Personnel-2-2001-53(1)/2001

Rakesh Sharma
Secretary
Government of Uttarakhand

All Principal Secretaries/Secretaries/Additional Secretaries
Government of Uttarakhand

All District Magistrates
Uttarakhand

All Head of Departments
Uttarakhand

Dehradun Date: 18 July 2001

Subject: For reservation in State Services, Educational Institutes and Public Industries, Corporations and Autonomous Institutes

In context to above, I am directed to say that after proper consideration of the policy for reservation in state public industries/corporations, autonomous institutes/ educational institutes, Government has decided to opt to increases one percent reservation on the basis of the available census. Therefore, government has decided to apply following provisional reservation in Uttarakhand State:

(1) SC 19%
(2) ST 04%
(3) OBC 14%

Government has also decided to give horizontal reservation to Women, Ex-army person, PWD and Freedom fighters and their dependents in the following manner:

(1) women 20%
(2) Ex Army Person 02%
(3) PWD 03%
(4) Freedom fighters and their dependents 02%

Horizontal reservation will be allowed into the respective categories.
Permanent policy for reservation will be determined separately.

Sincerely
Rakesh Sharma
Secretary

- As per the letter No. 1900/xxx(2)/26(a) of Principal Secretary Government of Uttarakhand the ***Women Reservation is amended as 30%(Horizontal)***. The letter is as follows:

30% Reservation to Women

Letter No. 1900/XXX(2)/26(a)

From

Nrip Singh Napchayal
Principal Secretary
Government of Uttaranchal

To

1. Additional Chief Secretary
   Government of Uttaranchal
2. All Principal Secretaries/ Secretaries
   Government of Uttaranchal
3. All HODs/Office Head
   Uttaranchal
4. Divisional Commissioner Garhwal/Kumayun
   Uttaranchal
5. All District Magistrate
   Uttaranchal

Personnel Division -2 Dehradun Date 24 July 2006

Subject: Allowing horizontal reservation to women in State services/corporation/public sector and autonomous Institutes of Uttaranchal

Dear Sir

In context to above, I am directed to say that according to G.O. Letter No. 1144/Personnel-2-2001-53(1)/2001, Dated: 18 July 2001, Para 2 (i), 30 % reservation is allowed to women of Uttaranchal State.

In this context, after proper consideration by Government it is decided to increase women horizontal reservation from 20% to 30% in state services/corporation/public sector and autonomous Institutes of Uttaranchal. This 30% reservation will not be implemented in those issues, where selection process has already been started and advertised. Any old issues will not be entertained.

Kindly grant horizontal reservation to Uttaranchal women accordingly.

Sincerely
Nrip Singh Napchayal
Principal Secretary

No. 1966/XXX(2)/2006
Copy to:

1. Principal Secretary, Hon Governor, Uttaranchal Government
2. Secretary, Public Service Commission, Uttaranchal, Haridwar
3. Registrar, High Court, Uttaranchal Nanital
4. Secretary, Legislative Assembly, Uttaranchal Dehradun
5. All personnel secretaries of Hon Ministers
6. All divisions of Secretariat

F. No.20013/01/2018-BC-II

Government of India

Ministry of Social Justice and Empowerment

Department of Social Justice and Empowerment

17th January, 2019

Shastri Bhawan, New Delhi

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions.

In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the Constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

i. 5 acres of Agricultural Land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

- The EWS reservation was notified by Principal Secretary, Government of Uttarakhand by letter no.1022(1)/XXIV(4)/2019-01(03)/2019 which is as follows:

EWS Reservation

महत्वपूर्ण

संख्या– /XXIV(4)/2019-01(03)/2019

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 30 जुलाई, 2019

विषय– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश अवस्थित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु 10 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–विधि/2699/अन्य–45/2019, दिनांक 05 जुलाई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत हैं कि मानव संशाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No.20013/01/2018-BC-II, दिनांक 17 जनवरी, 2019 (संलग्नक–1) द्वारा उक्तानुसार अन्य वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में दिये जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

3– उक्त क्रे अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–64/XXXVI (3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 (संलग्नक–2) द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 को जारी करते हुए लोक सेवाओं और पदों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उपधारा (4) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों को जिन पर भर्ती की जानी है, दस प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना में कतिपय अन्य दिशा–निर्देश एवं प्राविधान भी किये गये हैं।

3– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्राविधानों एवं विभिन्न दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत् उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश अवस्थित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु प्रत्येक शाखा में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अन्य वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में दिये जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए दस प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने की स्वीकृति इस प्रकार प्रदान की जाती है कि छात्रों के लिए सीटों की कुल संख्या में वृद्धि की जायेगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के बाद, संख्या या सीटें पूर्ववर्ती एकेडमिक सत्र की तरह ही रहे।

4– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः—2

संख्या– 1022-(1)/ XXIV(4)/2019-01(03)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव/प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल द्वारा–प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा–प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग), उत्तराखण्ड द्वारा–प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।
11. एन.आई.सी (निदेशक), सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

- **The point no. 03** is translated as after the valid concern of Government Of Uttarakhand as; as per the directions of UGC and DoPT; Government Of Uttarakhand all the Government, semi government, allied Institutions and non-Government Institutions will allow besides the reservation approved to SC,ST & OBC students; ***the Institution will provide 10% seats of total sanctioned seats to Economically weaker sanctions(EWS)*** provided that it will be the total no of seats for an academic session will increased such that it will be like the change is would not affect the changes so far.

- Swargiya Chandra Singh Shahi Government Post Graduate College Kapkote (Bageshwar) is affiliated with Kumaun University(KU), Nainital(Uttarakhand) and after the establishment of Soban Singh Jeena University(SSJ), Almora (Uttarakhand) in 2020 the Institution is affiliated to SSJ University afterward. So the seats in admissions granted is decided as per the both universities as in concerned years; which are as follows:
- Kumaun University, Nainital

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक –डी० आई० सी०/2018/6103 दिनांक – 06-7-2018

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,
समस्त परिसर/राजकीय महाविद्यालय/स्ववित्तपोषित संस्थान
सम्बद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

महोदय,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी०ए०/बी–एस०सी०/बी० कॉम०/एम० ए०/एम–एस०सी०/एम०कॉम०)में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट kunainital.ac.in के माध्यम से ऑनलाईन भरे जा चुके है। **इस पत्र के साथ आपको प्रवेश नियमों की प्रति भी प्रदान की जा रही है।**

- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्रों के आधार पर आपके परिसर/महाविद्यालय से सम्बन्धित अनन्तिम डाटा आपको मैरिट बनाये जाने हेतु दिया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय द्वारा आपको यूजर–नेम व पासवर्ड आपके द्वारा दिये गये ई–मेल पर प्रदान किया जा रहा है। उक्त डाटा आप अपने यूजरनेम (आपके द्वारा प्रदान की गयी ई–मेल आई० डी० अथवा प्रदत्त मोबाईल नम्बर), पासवर्ड तथा मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ० टी० पी० (One Time Password) के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
- कृपया ध्यान दें कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पासवर्ड को महाविद्यालय स्तर पर बदलना अनिवार्य होगा (उक्त पासवर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पासवर्ड से भिन्न बनाना अनिवार्य है) तथा भविष्य में महाविद्यालय द्वारा बनाये गये पासवर्ड तथा मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ० टी० पी० के माध्यम से ही लॉग–इन किया जाना सम्भव होगा।
- पोर्टल पर लॉग–इन करने के उपरान्त अभ्यर्थियों के डाटा को आवश्यकता पड़ने पर परिसर/महाविद्यालय स्तर पर परिवर्तित किया जा सकता है।
- उक्त किये गये बदलावों को देखने के लिए डाटा को संरक्षित करके दोबारा डाउनलोड करना होगा। तथा उक्त के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार की जा सकती है।
- यदि परिसर/महाविद्यालय स्तर पर इन्टरनेट की स्पीड कम है तो एक–एक फार्म को अपडेट करने का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध है। जिस कार्य को रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से किया जा सकता है।
- उक्त डेटा (मैरिट) में विद्यार्थियों द्वारा उल्लिखित अधिमान अंक (Weightage) को अभी नहीं जोड़ा गया है। कृपया उक्त अधिमान अंकों को अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों से सत्यापित करने के उपरान्त ही अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में जोड़ा जाए तथा अन्तिम योग्यता सूची तैयार कर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए।

नोट – उक्त डाटा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन माध्यम से भरे गये आवेदन पत्रों के आधार पर बनाया गया है तथा परिसर/महाविद्यालय स्तर पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की गहन जाँच के उपरान्त ही उक्त डाटा से मैरिट लिस्ट तैयार की जाए।

06/07/18

उक्त कार्य हेतु निम्नांकित तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं –

क्रम0	विवरण
1	परिसर / महाविद्यालय में आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा किये जाने की अन्तिम तिथि 07.07.2018
2	परिसर / महाविद्यालय दिनांक 07.07.2018 से ऑनलाईन माध्यम (यूजरनेम तथा पासवर्ड) से अभ्यर्थियों का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं।
3	परिसर / महाविद्यालय स्तर पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी किये जाने की तिथि 11 जुलाई 2018
4	परिसर / महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रकिया की अवधि 12 जुलाई से 19 जुलाई, 2018
5	प्रथम सेमेस्टर की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने की तिथि 23 जुलाई, 2018

परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर से उक्त अभ्यर्थियों का सत्यापन तथा प्रवेश किया जाना है। उक्त कार्य हेतु परिसर / महाविद्यालय के निदेशक / प्राचार्य के ई–मेल के माध्यम से यूजरनेम तथा पासवर्ड प्रदान किया जायेगा तथा निदेशक / प्राचार्य के मोबाईल में प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से ही लाग–ईन किया जा सकेगा तथा पासवर्ड (भूलने की दशा में) बदला जा सकेगा। **समस्त डेटा सम्बन्धी कार्य उपरोक्त पासवर्ड तथा मोबाईल नम्बर से ही सम्पादित हो सकेगा। यह अत्यन्त गोपनीय कार्य है और कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इस कार्य की गोपनीयता पूर्ण रूप से संरक्षित की जाये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व परिसर / महाविद्यालय / संस्थान के निदेशक / प्राचार्य का होगा।**

संलग्न – यथोपरि।

भवदीय

निदेशक, डी0 आई0 सी0

प्रतिलिपि –

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, गौलापार, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त प्राचार्यों से उपर्युक्त निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

निदेशक, डी0 आई0 सी0

(ख) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1–9 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1–10(अ) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नही दिया जाएगा।

1–10(ब) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

1–11 किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रव्रजन प्रमाण–पत्र जमा न किया हो।

1–12 ऐसे विद्यार्थी को जिसने नियमित प्रवेश लिया हो परन्तु बीमारी के कारण या अन्य किसी पुष्ट कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश नियमावली के अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने की दशा में केवल एक बार पुनः उसी सेमेस्टर, विषय, संकाय में प्रवेश चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

1–13 वार्षिक परीक्षा पद्धति **(Annual Mode)** से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत् प्रवेश लिया हो किन्तु किसी अपरिहार्य कारणों से उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो, तो उसे दूसरे वर्ष उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत/भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ही दी जा सकती है।

1–14 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक –1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1–	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत – 11.4
2–	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत – 2.4
3–	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत – 8.4

नॉन–क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा।

नोट– महिलाओं, सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा–

(1)	महिलाएँ	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3)	विकलांग	03 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/आश्रित जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)।

1–15 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise.

(iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.

(v) Waiving of domicile requirements.

(vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

1–16 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क)	एन०सी०सी० बी० सी० अथवा जी० पार्ट–1, जी–2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी –	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय में भाग लेने पर) –	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन –	20 अंक
(घ)	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन–	20 अंक
(ङ)	विश्वविद्यालय की फर्स्ट एलेवन टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थी	20 अंक
(च)	शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में	25 अंक

26/07/15

In the above letter of KU; DIC/2018/0101 dated 06/07 2018 ***the point no. of 1-14 which is concerned about the reservation policy for admission*** states that:

The Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribes(ST)and Other Backward Classes (OBC) students will granted admissions with reservation as per the letter of Government of Uttarakhand's letter no. 1144/karmik-2-2001-53(1)/2001 dated 18 July 2001 as follows

1. SC- 19%
2. ST- 04%
3. OBC- 14% (Non creamy layer with a certificate which is valid only up to a year)

Note: Women, soldiers, physically handicapped (PH)and dependent of freedom fighters (DFF) will provide a horizontal reservation as follows:

1. Women- 30%
2. Ex- soldiers- 5%
3. Physically handicapped- 03%
4. Dependent of freedom fighters (DFF)-02%

This horizontal reservation beneficiary will be put on merit in the same category just and if the no. of seats in that particular category with same qualification is filled than no reservation will be provided additionally.

- SSJ University Almora (Uttarakhand)

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी०ए०/बी०एस–सी०/बी०कॉम०/एम०ए०/एम०एस–सी०/एम०कॉम०) की कक्षाओं में

प्रवेश के नियम

(सत्र 2020–2021 से प्रभावी)

अध्याय 1– साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे। 80

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा।

1.3 महाविद्यालयों/परिसरों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अंतरिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउंसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित महाविद्यालय/परिसर को उपलब्ध करा दी जाएगी। महाविद्यालय/परिसर अंतरिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन में अंकित सूचनाओं की सत्यता का मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय स्तर पर Verification कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में अपने शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों तथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की दो–दो स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय बिन्दु–(क) तथा बिन्दु–(ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र प्रारुप पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

1.12 वार्षिक परीक्षा पद्धति (Annual Mode) से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत प्रवेश लिया हो किन्तु किसी अपरिहार्य कारणों से उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो, तो उसे दूसरे वर्ष उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ही दी जा सकती है।

1.13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(नान–क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा)

नोट– महिलाओं, सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा–

(1) महिलाएं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)

1.14 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया।

(i) Extension in date of admission upto 30 days.

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Increase in take capacity upto 5% course-wise.

(iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.

(v) Waiving of domicile requirements.

(vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

1.15 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन०सी०सी० 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट–1, जी–2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन	20 अंक

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

In the above notifications of SSJ University, Almora; ***the point no. of 1.13 which is concerned about the reservation policy for admission*** states that:

The Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribes (ST)and Other Backward Classes (OBC) students will granted admissions with reservation as per the letter of Government of Uttarakhand's letter no. 1144/karmik-2-2001-53(1)/2001 dated 18 July 2001 as follows

4. SC- 19%
5. ST- 04%
6. OBC- 14% (Non creamy layer with a certificate which is valid only up to a year)

Note: Women, soldiers, physically handicapped (PH)and dependent of freedom fighters (DFF) will provide a horizontal reservation as follows:

5. Women- 30%
6. Ex- soldiers- 5%
7. Physically handicapped- 03%
8. Dependent of freedom fighters (DFF)-02%

This horizontal reservation beneficiary will be put on merit in the same category just and if the no. of seats in that particular category with same qualification is filled than no reservation will be provided additionally.

प्राचार्य
स्व0 चन्द्र सिंह शाही
रा0स्ना0 महाविद्यालय, कपकोट
जनपद- बागेश्वर, पिन-263642